तरतीबी अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) रास्ता स्वीकृति बाबत

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री मदन लाल पारीक	प्रार्थी
2. श्री गुरमेल सिंह ढिल्लों	अप्रार्थी सं. 1 ता 9
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी सं. 10

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 18/12/2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) रास्ता स्वीकृति बाबत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि –यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का पता उक्त प्रार्थना पत्र के शिर्षक में अंकितानुसार है। यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 10 से 13 के नाम से संयुक्त खाता की चक 2 पी.डब्लयू. एम. के प नम्बर 75/333 (2) किला नं. 1 ता 4, 8 से 15 की 3.036 हैव कंमाड भुमि दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी चक 2 पी.डब्लयू. एम. संवत् 2075 से 2078 संलग्न प्रार्थना पत्र है । यह कि अप्रार्थीगण सं. 1 से 9 के नाम से संयुक्त खाता की चक 2 पीडब्लयुएम के प. न. 75/333 (2) किला नं. 16 ता 25 की 2.530 हैक. कंमाड भुमि दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी चक 2 पीडब्लयुएम संवत 2075 से 2078 व संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्राथीगण व अप्रार्थीगण सं. 13 गांव पंडितावाली रहते है प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित भूमि को प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 13 संयुक्त काश्त करते है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में अपने गांव पंडितावाली से पीलीबंगा रावतसर मुख्य सड़क से होकर इस चक 2 पी. डब्ल्यु.एम की पत्थर लाईन 75 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में उतर से दक्षिण स्वीकृत रास्ता से 4 मुरब्बा चल कर अप्रार्थीगण की भूमि प.नं. 75/333 के किला नं. 21 तक इस स्वीकृत रास्ते से होकर आगे किला नं. 20, 21 के पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण 2–2 बिस्बा रास्ता से होकर अपने किला नं. 11 में प्रवेश करते है । नजरी नक्शा चक 2 पी. डब्ल्यु.एम प. न. 75/333 संलग्न प्रार्थना पत्र है

यह कि प्राथीगण को प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित खातेदारी भुमि प.न. 75/333 के किला नं. 20 व 21 के पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण 2–2 बिस्बा रास्ता के अलावा आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है । प्रार्थीगण वर्षो से इसी प्रशनगत रास्ता से आना जाना करते है मौके पर यह रास्ता चालू है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता राजस्व अभिलेख में स्वीकृत नहीं होने के कारण प्रार्थी को असुविधा होती है अप्रार्थीगण इस चालु रास्ता को बन्द करने पर आमाद है। प्रार्थी रास्ता स्वीकृत करवाने का हकदार है। इस रास्ता के बदले प्रार्थीगण डी.एल. सी दर पर अप्रार्थीगण को राशि अदा करने के लिए तैयार है।

यह कि अप्रार्थी सं. 10 से 13 का हित हम प्रार्थीगण के साथ है परन्तु आज वे उपस्थित नही होने के कारण उन्हें अप्रार्थीगण बनाया गया है। यह कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर व अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण 1 से 9 की भुमि चक 2 पी. डब्लयु. एम के प.न. 75/333 के किला नं. 20, 21 के पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण 0.025, 0.025 हैक. कुल 0.050 हैक. रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.19 17:34:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट सरिस्ता [illegible]टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 [illegible] 9 [illegible] ओर से अधिवक्ता श्री गुरमेल सिंह ढिल्लों हाजिर वकालतनामा एवं [illegible] प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 ता 9 की ओर से निम्न प्रकार से है –यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 पंजीकृत पता [illegible]धित है यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 मुताबिक रिकार्ड स्वीका[illegible]। यह कि प्रार्थना प[illegible]दफा 3 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कथन कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 13 गांव पण्डितावाली में रहते है प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित भूमि को प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 13 सयुक्त काश्त करते है जो ज्ञान के अभाव में अस्वीकार है।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में अपने गांव पण्डितावाली से पीलीबंगा रावतसर मुख्य सड़क से होकर इस चक 2 पीडब्ल्यूएम की पत्थर लाईन 75 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में उतर से दक्षिण स्वीकृत रास्ता से 4 मुरब्बा चलकर अप्रार्थीगण की भूमि प.नं. 75/333 के किला नं. 21 तक इस स्वीकृत रास्ते से होकर आगे किला नं. 20, 21 के पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण 2– 2 बिस्वा रास्ता से होकर अपने किला नं. 11 में प्रवेश करते है के कथन असत्य होने से अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता कभी चालू नही रहा है। प्रार्थीगण के पास अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये अन्य स्वीकृतशुदा रास्ता है जिससे होकर प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आना जाना करते है मात्र मिन अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने के लिये उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

धारा 251– क राकाअधि में जिस काश्तकार के पास कोई भी रास्ता उपलब्ध नही है उसके लिये रास्ता का प्रावधान है परन्तु प्रार्थीगण के पास अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध है इसलिये प्रार्थीगण मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में नया रास्ता स्वीकृत करवाने के अधिकारी नही है । उक्त रास्ता कभी चालू नही रहा है। रास्ता चालू ही नही रहा तो उसे बन्द करने का प्रशन ही पैदा नही होता प्रार्थीगण ने झूठे व मनगढ़त कथन अकिंत किये है जो अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र धारा 251 – क राकाअधि में हुए संशोधन मुताबिक रास्ता में आई कृषि भूमि के बदले उतनी कृषि भूमि चिपती हुई देने के प्रावधान है परन्तु प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में ऐसे कोई कथन नही किये है इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण काबिल खारिज के है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 अस्वीकार है । प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी सं. 14 राजस्थान सरकार जो कि भू धारक है उसे तरतीबी पक्षकार बनाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज के है यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 अस्वीकार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का नही है।

अतिरिक्त कथन

यह कि प्रार्थीगण सं. 1 ता 5 ने अपने प्रार्थना पत्र में अपनी पूरी कृषि भूमि का विवरण पेश नही किया है जबकि प.नं. 75/332 किला नं. 11 ता 13, 18 ता 23 में प्रार्थीगण सं. 1 ता 5 के नाम कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है इसके अलावा प.नं. 74/332 किला नं. 14 ता 17, 24, 25 में प्रार्थीगण सं. 1 ता 5 के नाम कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है। प.नं. 74/332 की कृषि भूमि मे आने जाने के लिये किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में स्वीकृतशुदा रास्ता लगता है व प.नं. 75/332 की कृषि भूमि में आने जाने के लिये किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में स्वीकृतशुदा रास्ता लगता है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि व अतिरिक्त कथन में दर्ज कृषि भूमि एक दूसरी के चिपती हुई है।

यह कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के नाम वर्णित कृषि भूमि के प.नं. 75/333 का किला नं. 5 राज रकबा है जो स्वीकृतशुदा रास्ता प.नं. 75/332 किला नं. 25 के चिपता हुआ इसलिये प्रार्थीगण उक्त प.नं. 75/333 किला नं. 5 में रास्ता स्वीकृत करवा सकते है जो सबसे निकटतम व सुविधाजनक रास्ता है।

यह कि प्रार्थीगण सं. 6, 7 ने अपने प्रार्थना पत्र में अपने नाम दर्ज कृषि भूमि का विवरण अकिंत नही किया है जिस कारण वे रास्ता की मांग नही कर सकते है। प्रार्थीगण सं. 6, 7 के नाम प.नं. 74/333 किला नं. 3 ता 8, 14, 15 में कृषि भूमि दर्ज है जिसमें आने जाने के लिये प्रार्थीगण सं. 6, 7 के पास इसी प.नं. 74/332 किला [illegible] 10, 11, 20, 21 में स्वीकृतशुदा रास्ता है । प.नं. 74/333 किला नं. 1 ता 15 की कृषि भूमि [illegible] सं. 6, 7 के परिवार की सयुक्त थी जिसका उन्होने रास्ता खाला की सुविधा [illegible] में घरू बंटवारा किया व घरू बंटवारा में 74/333 किला नं. 3 ता 8, 14, 15 की [illegible] भूमि प्राप्त की व उक्त कृषि भूमि में आने जाने के लिये किला नं. 1, 2 में से रास्ता मौका [illegible] उपलब्ध है जिससे वे अपनी कृषि भूमि के किला नं. 3 में प्रवेश करते है इसलिये प्रार्थीगण सं. 6, 7 को नये रास्ता की आवश्यक्ता नही है व ना ही वे रास्ता स्वीकृत करवाने के हकदार है। प्रार्थीगण अपने सह काश्तकारान यानी प.नं. 74/333 के काश्तकारान से किला नं. 1, 2 में रास्ता स्वीकृत करवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.19 17:34:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

सकते है । मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में से प्रार्थीगण सं. 6, 7 किसी प्रकार के रास्ता स्वीकृत करवाने के अधिकारी नही है।

यह कि अप्रार्थीगण लघु सीमान्त काश्तकार है जिनके पास उक्त कृषि भूमि के अलावा अन्य कोई आय का स्त्रोत नही है । यदि अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थीगण की कृषि भूमि दो टुकड़ो में विभाजीत हो जायेगी ।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा के पत्रांक 25 दिनांक 14.02.25 से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू है। सभी काश्तकारों को पक्षकार बनाया गया है। चाहे गये रास्ते के अलावा चक 42 एसएसडब्ल्यू तह0 हनुमानगढ़ के प0नं0 75/332 के किला नं0 5–6–15–16–25 में 2–2 बिस्वा स्वीकृतशुदा रास्ता लगता है एवं चक 2 पीडब्ल्यूएम के प0नं0 75/333 के किला नं0 5–6–7 अराजीराज दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें किला नं0 5–6–15 में पूर्व दिशा में रास्ता मौके पर चालू है कि.नं. 5 से पूर्व से पश्चिम दिशा में स्वीकृत किया जाता है तो चाहे गये रास्ते से कम दूरी का रास्ता होगा। अन्य वैकल्पिक चालू चक 42 एसएसडब्ल्यू तह0 हनुमानगढ़ के प0नं0 75/332 के किला नं0 5–6–15–16–25 में 2–2 बिस्वा स्वीकृतशुदा रास्ता लगता है। एवं चक 2 पीडब्ल्यूएम के प0नं0 75/333 के किला नं0 5–6–7 अराजीराज दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें किला नं0 5–6–15 में पूर्व दिशा में रास्ता मौके पर चालू है।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। बहस में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र तथ्यों का दोहराते हुए कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र अनुसार चाहा गया रास्ता प्रार्थीगण हेतु स्वीकृत किया जावे क्योंकि तहसीलदार पीलीबंगा रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ता का जो बताया गया है वह ना तो सुविधा जनक है ना ही कम दूरी को इस लिए चाहा गया रास्ता स्वीकृत हेतु निवेदन किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस हमें कथन किया गया कि तसहीलदार रिपोर्ट पर आपत्ति नहीं है परन्तु प्रार्थी द्वारा प्रत्येक मुरब्बा में रास्ता चाहा गया है जो कि नहीं दिया जा सकता है प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

आदेश

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा से प्राप्त रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया गया मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चक 42 एसएसडब्ल्यू तह0 हनुमानगढ़ के प0नं0 75/332 के किला नं0 5–6–15–16–25 में 2–2 बिस्वा स्वीकृतशुदा रास्ता लगता है। एवं चक 2 पीडब्ल्यूएम के प0नं0 75/333 के किला नं0 5–6–7 अराजीराज दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें किला नं0 5–6–15 में पूर्व दिशा में रास्ता मौके पर चालू है। रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर प्रार्थना पत्र इस लिए खारिज किया जाना उचित है क्योंकि आंत्यातिक आवश्यकता के अभाव में केवल सुविधाजनक रास्ता हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क आरटीए के प्रावधानों के अनुरूप साबित नहीं होने पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर [illegible] दाखिल हो । आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 18/12/2[illegible] [illegible]या।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.19 17:34:26 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
पीलीबंगा (हनुमानगढ़)